International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 10 Issue 09 Ser. IV || September, 2021 || PP.64-68

औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास

डॉ मीना अंबेश
सह आचार्य इतिहास
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर

शोध सारांश *प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जो मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य की अवधारणा पर आधारित थी । प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र परिवार, गुरुकुल, मठ, विहार, मंदिर आदि होते थे। यह शिक्षा मौखिक हुआ करती थी, जबकि मध्य काल में शिक्षा मकतब, खानकाह, मस्जिद, दरगाह आदि में दी जाती थी। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के पश्चात कंपनी ने अपनी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तहत तथा अपने राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का निश्चय किया और इसके लिए सर्वप्रथम 1813 ई. का चार्टर एक्ट के द्वारा तत्पश्चात 1854 ई. के वुड शिक्षा निर्देश, 1882 ई. के हंटर आयोग तथा अन्य आयोगों के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति को लागू किया गया।*

शब्द कुंजीः– *गुरुकुल, ब्रह्मचर्य, औपनिवेशिक, 1813 ई. का चार्टर एक्ट, 1854 ई. का वुड शिक्षा निर्देश, 1904 ई. का भारतीय विश्वविद्यालय आयोग।*

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध रहा है एवं भारत को ज्ञान के क्षेत्र में विश्वगुरु की ख्याति प्राप्त रही है। यहाँ प्राचीन काल से ही शिक्षा का स्वरूप ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित रहा है, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से ब्रह्मंचर्य की अवधारणा पर आधारित थी।[1] प्राचीनकाल में शिक्षा के मुख्य केन्द्र परिवार, गुरुकुल, अग्रहार, उपासरे, मठ, विहार, मन्दिर आदि होते थे। इस काल में शिक्षण कार्य मौखिक रूप से होता था। इसका मुख्य कारण कागज आदि लेखन सामग्री का प्रचलन नहीं होना था। प्राचीन काल में आधुनिक काल की तरह परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। इस काल में परीक्षा प्रणाली के स्थान पर आश्रमों में शास्त्रार्थ की प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित थी।

मध्यकाल मे मकतबों मे मौलवी शिक्षा प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त खानकाह और दरगाहों में भी प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी।[2] मध्ययुगीन शिक्षा की एक विशेषता थी, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक विशिष्टता के प्रमाण पत्र उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार दिये जाते थे, जैसे तर्क और दर्शनशास्त्र में पारंगत विद्यार्थियों को 'फाज़िल', धर्मशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर 'आलिम' और साहित्य में ज्ञान प्राप्त करने पर 'काबिल' की उपाधियाँ दी जाती थीं।[3] प्राचीनकालीन आश्रमों और बौद्ध विहारों के स्थान पर मध्ययुग में छात्रावासों का चलन प्रारम्भ हुआ। मध्यकालीन शिक्षा के विकास में मुस्लिम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान यह माना जा सकता है कि, कागज सर्वप्रथम मुसलमानों द्वारा ही 10.11 वीं शताब्दी में भारत में लाया गया। मध्ययुग में फारसी भाषा का विकास भी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि फारसी ही शिक्षा की माध्यम भाषा थी। 14 वीं शताब्दी के लगभग अरबी, फारसी और हिन्दी के मेल से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे 'उर्दू' कहा गया।

कालान्तर में भारत के जिस.जिस प्रान्त में कम्पनी का शासन स्थापित होता गया, वहाँ.वहाँ हजारों साल पुरानी शिक्षा प्रणाली धीरे. धीरे नष्ट होती चली गयी। कम्पनी के शासन में भारतीय परम्परागत शिक्षा के विनाश के निम्न कारण रहे –

- कम्पनी की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तहत ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन भारत आने लगा, जिससे भारतीय उद्योग.धन्धों का नाश हुआ। कम्पनी की लूट से देश में दरिद्रता बढ़ी। प्राचीन भारतीय उद्योग.धन्धों के सर्वनाश के कारण मध्यम व निम्न श्रेणी के लोग इस योग्य नहीं रहे, कि वे अपने बच्चों को पाठशाला भेज सके। निर्धनता के कारण बच्चों को मेहनत मजदूरी में अपने माता–पिता का हाथ बंटाना पड़ा।
- इसी के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया, जिससे लाखों ग्राम पाठशालाओं का अन्त हो गया।
- कम्पनी के शासन काल में प्राचीन हिन्दू व मुस्लिम नरेशों की ओर से जो शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता व जागीरें बंधी हुयी थी, उसे छीन लिया गया, जिससे देशी शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता मिलना बन्द हो गया।
- कम्पनी शासन ने आरम्भ में भारतवासियों को शिक्षित करने में कोई रूचि नहीं दिखाई, क्योंकि उसका मानना था कि हमने अमेरिका में स्कूल व कॉलेज खोलने दिए, जिससे हमें अमेरिका को खोना पड़ा अब फिर भारत में उसी मूर्खता को दोहराना ठीक नहीं है।[4]

लेकिन 19वीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिश सरकार को धीरे.धीरे भारत में शासन कायम रखने के लिए कठिनाईयों का अनुभव होने लगा, जैसे अपने अधीन भारत के प्रशासन तन्त्र की उचित व्यवस्था के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। बहुसंख्या में ब्रिटिश लोग ब्रिटेन से नहीं आ सकते थे। अपने इन उद्देश्यों के साथ ही कुछ प्रबुद्ध अंग्रेजों जैसे . सेसिल रोड्स को ब्रिटिश संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास था। यहाँ तक कि रोड्स सारे संसार का अंग्रेजीकरण करना चाहता था।[5]

1813 का चार्टर एक्ट

1813 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार शिक्षा के प्रति राजकीय उत्तरदायित्व को वहन करते हुए, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्रों में साहित्य, विज्ञान तथा विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की। इसे बढ़ाकर 1833 ई. में 10 लाख रुपये सालाना तक कर दिया गया। इसके साथ ही इस एक्ट ने इंग्लैण्ड के व्यापारियों व ईसाई मिशनरियों को संचालन समिति की अनुमति से नियमित रूप से भारत में आने व बसने की छूट प्रदान कर दी।

2 फरवरी 1835 ई. को लार्ड मेकाले ने अपना पत्र जारी कर भारतीय प्राच्यविद्या पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, '1813 ई. के चार्टर एक्ट में एक लाख रु. प्रतिवर्ष लोगों के बौद्धिक स्तर को सुधारने के लिए रखा गया है लेकिन देशी भाषाओं के माध्यम से लोगों के बौद्धिक स्तर में सुधार नहीं हो सकता।'

ब्रिटिश उपनिवेशवादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समर्पित मेकाले ने भारतीय प्राच्य भाषाओं (संस्कृत, अरबी) व भारतीय ज्ञान.विज्ञान एवं संस्कृति का अपने वक्तव्यों के जरिये उपहास उड़ाया।मेकाले की मान्यता थी कि किसी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का एक खाना, भारत और अरब देशों के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर है।

लार्ड मेकाले तथा उसके समर्थक ऐसी शिक्षा पर पैसा खर्च करना व्यर्थ समझते थे। यद्यपि मेकाले यह जानता था कि, अंग्रेजी भारत में जनसामान्य तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन मेकाले का उद्देश्य प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना था, न कि आम जनता तक अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना। उसका उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था, जो रंग और खून में तो भारतीय हो लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता व बुद्धि से अंग्रेज हो। अन्ततः गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक ने मेकाले के विचारों का अनुमोदन करते हुए 7 मार्च 1835 ई. को एक प्रस्ताव जारी कर, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाया। प्रस्ताव में कहा गया कि, महामहिम गवर्नर जनरल का मत है कि ब्रिटिश सरकार का महान् उद्देश्य

भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना होगा तथा शिक्षा के लिए जिस धनराशि का प्रावधान किया गया है, उसका उपयोग अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जायेगा।[6] भारत के शैक्षिक इतिहास में लार्ड बैंटिक का यह प्रस्ताव एक नये युग के समान था।
इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए 1835 ई. में ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। जिससे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा मिला। बैंटिक पहला गवर्नर.जनरल था, जिसने यह आज्ञा दे दी और नियम पारित कर दिया कि भविष्य में सारा पत्र.व्यवहार फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए।[7]

1854 ई. के वुड शिक्षा निर्देश

1854 ई. के वुड शिक्षा निर्देश का मुख्य उद्देश्य भारत में पश्चिमी ज्ञान को प्रचारित करना था। 1854 ई. के वुड निर्देश में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया वुड शिक्षा निर्देश में पहली बार स्त्री शिक्षा का समर्थन कर इसे राज्य के उत्तरदायित्वों में शामिल किया गया। वुड शिक्षा निर्देश पत्र द्वारा प्रौढ़ बालिकाओं व स्त्रियों की शिक्षा के लिए सहायता अनुदान देने तथा प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सिफारिश की गई।[8]

1882 का भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग)

1880 ई. में इंग्लैण्ड में 'प्रारम्भिक शिक्षा कानून' पारित कर ब्रिटिश जनता के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसका प्रभाव भारत के वायसराय लार्ड रिपन पर पड़ा। लार्ड रिपन ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली के गुण.दोष को समझने के लिए 1882 ई. में पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। जिसका अध्यक्ष वायसराय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य सर विलियम विल्सन हण्टर को बनाया गया। कमीशन के अध्यक्ष हण्टर के नाम से इसे 'हण्टर कमीशन' कहा गया है।[9]

हण्टर आयोग ने मार्च 1883 ई. में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखकर निम्न सिफारिशें की .

1. इंग्लैण्ड में पारित 'प्रारम्भिक शिक्षा कानून 1880' की भाँति भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाये। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर तय किया जाए। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय (स्थानीय) भाषा में दी जाये, लेकिन सैकण्डरी शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा की बाध्यता नहीं रखी जाये।
2. देशी शिक्षा को यथावत व प्रोत्साहित करने की सिफारिश की जाये ताकि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो सके।
3. प्राथमिक शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन (बोर्ड) व नगरपालिकाओं को सौंपने का सुझाव दिया गया।
4. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूलों की स्थापना व इनकी संख्या में वृद्धि की जाये। सैकण्डरी व हाईस्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग स्कूल में वृद्धि की सिफारिश की गई।
5. जिला स्तर पर एक राजकीय मॉडल हाईस्कूल खोले जाने की सिफारिश की गई।
6. माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को दो भागों में विभक्त किया जाए। प्रथम विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के स्तर का हो, द्वितीय व्यावसायिक शिक्षा का।
7. सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबन्धित किया जाये, जबकि निजी शिक्षण संस्थाओं को इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाये।
8. स्त्री ि ाक्षा के प्रोत्साहन हेतु उनके लिए पृथक रूप से पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति व नौकरियों में सुविधा देने की सिफारिश की गई।
9. पिछड़े व मुस्लिम वर्ग की शिक्षा की उचित व्यवस्था की भी सिफारिश की गई।
10. स्थानीय व निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक अनुदान कोष की व्यवस्था करे।
11. निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जाएं। इसके लिए सहायता अनुदान को विस्तृत व उदार बनाया जाये। अनुदानित स्कूलों को सरकारी स्कूलों के समान मान्यता दी जाये।
12. स्कूलों में लड़कों के शारीरिक व्यायाम व नैतिक उत्थान की ओर ध्यान दिया जाये। छात्रों के स्वास्थ्य के लिए भारतीय खेल, व्यायाम और अभ्यास करने की सिफारिश की गई।
13. प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए यह सिफारिश की गई कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षित व्यक्ति को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाये।
14. प्रतिभावान छात्रों को सरकारी खर्च पर उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में भेजा जाए।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902)

लॉर्ड कर्जन ने सितम्बर 1901 ई. में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रांतों के शिक्षा निदेशक एवं कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन के पश्चात् भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने 1902 ई. में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग को विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य के स्तर को उठाने एवं शिक्षण के आधुनिक एवं उन्नत तरीके विकसित कर, गर्वनर जनरल काउंसिल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आयोग ने छह माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मुख्य सिफारिशें थीं दृ

- विश्वविद्यालय के कार्यों में छात्रों को पढ़ाना, प्रोफेसरों एवं अध्यापकों की नियुक्ति करना, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं संग्रहालय बनाना, उनका संचालन, अध्ययन एवं अनुसन्धान कार्यों को सम्मिलित किया जाये।
- विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली सिंडिकेट होगी, जिसमें उपकुलपति, जनशिक्षा निदेशक एवं सीनेट व विभिन्न विभागों द्वारा चयनित पदेन अथवा साधारण सदस्य होंगे।
- महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करने की शर्तें कड़ी की जायें, तथा नियमित रूप से समय.समय पर निरीक्षण कर महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालय के नियन्त्रण को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।
- विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढाँचे को पुनर्गठित करना एवं प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को निश्चित करना।[10]

शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श एवं आयोग की रिपोर्ट से दो मुख्य बातें सामने आयीं, एक भारत सरकार का शैक्षणिक नीति प्रस्ताव (1904) एवं दूसरा, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट (1904)[11]

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904)

लॉर्ड कर्जन ने 1902 ई. के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के प्रस्तावों को मानते हुए उनमें कुछ सुधारात्मक परिवर्तन करते हुए 1904 ई. का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिसकी मुख्य धाराएँ निम्न थीं .

- इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया। अब वे प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) तथा प्रवक्ताओं (लेक्चरारों) की नियुक्ति कर सकते थे।
- तीन पुराने विश्वविद्यालयों के सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 तथा अधिक से अधिक 100 निर्धारित कर दी गई।
- कॉलेजों को मान्यता देने के नियम पहले की अपेक्षा अधिक कठोर बना दिए गए। सिण्डीकेटों को यह अधिकार दे दिया गया, कि वे आवश्यकतानुसार समय.समय पर मान्यता प्राप्त कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे।

- प्रोफेसरों और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि, उनमें अधिक से अधिक अध्यापकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।
- इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार अब प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र निश्चित हो गए।
- विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर शिक्षा के प्रबन्ध के भी अधिकार दे दिए गए।

1913 का शिक्षा सम्बन्धी संकल्प पत्र

दिसम्बर 1911 ई. में ब्रिटेन के सम्राट जार्ज पंचम भारत आये। उन्होंने 6 जनवरी 1912 ई. को कलकत्ता विश्वविद्यालय में इच्छा व्यक्त की, कि देशभर में स्कूल व कॉलेजों का जाल फैलाया जाए। इन स्कूलों व कॉलेजों में उद्योगों एवं कृषि सहित अन्य व्यवसायों की शिक्षा दी जाये। सम्राट जार्ज पंचम की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1913 ई. में एक संकल्प प्रकाशित किया, जिसकी निम्न सिफारिशें थीं .

- शिक्षा संस्थाओं के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाया जावे।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जावे।
- भारत में उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान की व्यवस्था की जाये।

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशें

- प्राथमिक स्कूलों का अधिक विस्तार किया जाये।[12] प्राथमिक स्कूलों में नियमित शिक्षा के साथ.साथ चित्रकला, ग्रामीण मानचित्र का ज्ञान, प्रकृति अध्ययन एवं शारीरिक व्यायाम को भी शामिल किया जाए।
- उचित स्थानों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं एवं आवश्यकतानुसार निम्न प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाए।
- जिला परिषदों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अधिक स्कूल खोले जावें।
- निजी स्कूलों के निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
- स्कूलों में नियुक्त शिक्षक कम से कम एक वर्ष के प्रशिक्षण के साथ वर्नाक्यूलर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- प्रशिक्षित शिक्षकों को कम से कम 12 रुपये मासिक वेतन दिया जाए एवं इनकी वेतनवृद्धि, पेंशन एवं भविष्यनिधि का भी प्रावधान हो।[13]
- माध्यमिक वर्नाक्यूलर स्कूलों के स्तर में सुधार किया जावे व उनकी संख्या में वृद्धि की जावे।
- निजी स्कूलों को उदारतापूर्वक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाए।
- हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा एवं विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया जावे।
- महिला शिक्षक एवं निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए।[14]

उच्च शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशें

- विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार करने हेतु विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए।
- हाईस्कूल शिक्षा को विश्वविद्यालय से मुक्त करते हुए इसे प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। विश्वविद्यालय के शिक्षण व परीक्षा प्रणाली के कार्यों के लिए अलग–अलग विभागों की स्थापना की जाये।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 (सेंडलर आयोग)

ब्रिटिश सरकार द्वारा सर माइकल सेंडलर की अध्यक्षता में 14 सितम्बर 1917 ई. को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। सेंडलर आयोग ने 17 माह के अथक परिश्रम के बाद कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की। सेंडलर आयोग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया।[15]

सेंडलर आयोग की मुख्य सिफारिशें

- विश्वविद्यालय में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जावे, जो इन्टरमिजियेट परीक्षा उत्तीर्ण हो, एवं स्नातक (बी.ए.) पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जावे।
- इन्टरमीजिएट कक्षाओं की विश्वविद्यालय से सम्बद्धता को पृथक कर दिया जावे।
- प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जावे, जो माध्यमिक विद्यालयों और इन्टरमीजियेट कॉलेजों का भार संभाले।
- विश्वविद्यालय पर सरकार का कठोर नियन्त्रण नहीं होना चाहिए, उन्हें अधिक स्वतन्त्रता दी जावे।
- पासकोर्स के अतिरिक्त ऑनर्स.कोर्स की भी व्यवस्था की जावे।
- विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों जैसे व्यावसायिक शिक्षा, अभियांत्रिकी अध्यापन, डॉक्टरी, कानून, कृषि आदि उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- विश्वविद्यालय में एक शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक नियुक्त किया जावे, जो छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करे।[16]

हार्टोग कमेटी (1929)

1929 ई. में देश में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए हार्टोग कमेटी का गठन किया गया। हार्टोग कमेटी ने स्कूलों के स्तर के साथ.साथ छात्रों व शिक्षकों के स्तर में सुधार के सुझाव दिये। हार्टोग समिति के अनुसार समस्त माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य मैट्रिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, क्योंकि यह परीक्षा विश्वविद्यालयों का प्रवेशद्वार मानी गयी है[17] अतः हार्टोग समिति ने शिक्षा सुधार के निम्न सुझाव दिए .

प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा

- प्राथमिक स्तर पर हो रहे अपव्यय व अबरोधन को दूर करने का प्रयत्न किया जाये।
- औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषय को माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल कर पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाये।
- प्रशिक्षण महाविद्यालयों की दशा में सुधार किया जाए, उनमें अभिवनव पाठ्यक्रम (Refresher Course) की व्यवस्था की जाए।

- एकात्मक विश्वविद्यालय उपयोगी है, पर सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालयों की भी आवश्यकता है, अतः दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाए।
- विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश में कठोरता बरतनी चाहिए। केवल ऐसे ही विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो उच्च शिक्षा का लाभ उठा सके।
- विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। औद्योगिक शिक्षा प्राप्त छात्रों को सरकार सेवा.कार्य प्रदान करें। जिससे बेरोजगारी दूर होगी।[18]

हर्टोंग समिति ने ही सर्वप्रथम शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की ओर ध्यान दिया।

एबड.वुड रिपोर्ट (1936)

हर्टोंग समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1935 ई. में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। इस बोर्ड को भारतीय शिक्षा नीति निर्धारण का कार्य सौंपा गया। इस बोर्ड की सलाह पर भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए सरकार द्वारा 1936 ई. में इंग्लैण्ड से दो विद्वान बुलाए गए . ए. एबर्ट (इंग्लैण्ड में शिक्षा बोर्ड के तकनीकी स्कूलों के भूतपूर्व मुख्य निरीक्षक) तथा एस. एच. वुड. (इंग्लैण्ड के शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलीजेंस)। 1937 ई. में इन्होंने दो भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहला भाग श्री वुड ने तैयार किया, जिसमें सामान्य शिक्षा सम्बन्धी सुझाव थे तथा दूसरा भाग श्री एबट ने तैयार किया, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव थे।

प्रथम भाग

- प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ तक सम्भव हो प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाये। साथ ही बालिकाओं और महिलाओं के लिए भी शैक्षणिक प्रावधान किये जाएं।
- प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा, किताबी ज्ञान की तुलना में प्राकृतिक अभिरुचि एवं गतिविधियों पर ज्यादा आधारित हों।
- ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम, ग्रामीण बच्चों के वातावरण से ज्यादा करीबी तरीके से जुड़ा होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में यदि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ायी जाए तो भाषात्मक दृष्टि से बच्चों पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाए।
- हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा का माध्यम जहाँ तक संभव हो मातृभाषा हो। साथ ही अंग्रेजी विषय को हाईस्कूल स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाये, साथ ही अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को ज्यादा व्यवहारिक बनाया जाए।
- हाईस्कूल स्तर पर ललितकला के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए, इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।

द्वितीय भाग

एबट ने व्यावसायिक शिक्षा सम्बंधी सुझावों की सिफारिशें की, जो निम्न हैं .

- सामान्य शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा को अलग.अलग नहीं माना जाये, बल्कि ये दोनों एक ही प्रक्रिया के प्रारम्भिक एवं बाद की अवस्थाएँ हैं। व्यवसायिक स्कूल के प्रत्येक विषय की उत्पत्ति सामान्य शिक्षा के स्कूल में होती है।
- व्यवसायिक स्कूल में प्रवेश का स्तर, नियम के तौर पर माध्यमिक स्कूल स्तर से कम नहीं होना चाहिए। माध्यमिक स्कूल के बच्चों को जूनियर व्यवसायिक स्कूलों तथा उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्रों को व्यवसायिक स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकता है।
- रोजगार प्राप्त नवयुवकों को अर्द्धकालिक ;च्तज ज्पउमद्ध स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- कुछ हायर सैकण्डरी स्कूलों में कृषि आधारभूत शिक्षा होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षित कॉलेज खोला जाए, जो कि साधारण प्रशिक्षित कॉलेज के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करें।[19]

वर्धा शिक्षा कमेटी (1937)

वर्धा में महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में वर्धा शिक्षा योजना का उद्भव हुआ, जिसे नयी तालीम, आधारभूत शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह गाँधीजी के दर्शन पर आधारित थी। वर्धा सम्मेलन में शिक्षा सम्बंधी सुझावों को सही आकार देने के लिए डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। 1 मार्च 1938 ई. में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानी जाती है। वर्धा शिक्षा योजना की मुख्य सिफारिशें थीं –

- सम्पूर्ण भारतवर्ष में सात वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।
- शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की मातृभाषा होनी चाहिए।
- गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव को शामिल करते हुए यह तय किया गया कि, इन सात वर्षों में हस्तकला व उत्पादक प्रकार की शिक्षा पर ही मुख्यतः ध्यान केन्द्रित रहे। हस्तकला में कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, कृषि कार्य, बागवानी चमड़े का कार्य तथा अन्य हस्तसम्बन्धी कार्य जिसके लिए स्थानीय परिस्थितियाँ अनुकूल हों।[20]

गाँधीजी ऐसी शिक्षा के समर्थक थे, जिसे प्राप्त कर छात्र स्वावलम्बी बन सके और उसे जीविकोपार्जन की कोई समस्या नहीं रहे। गाँधीजी का कहना था कि, कताई और बुनाई जैसे ग्रामीण उद्योगों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की मेरी योजना, अत्यधिक महत्वपूर्ण परिणाम वाली शांत सामाजिक क्रांति को जन्म देगी।

सार्जेंट आयोग (1944)

शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने द्वितीय विश्वयुद्धोपरान्त भारत में शैक्षिक विकास के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जॉन सार्जेंट के नाम से इसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार में शैक्षिक सलाहकार के पद पर नियुक्त थे।

सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशें

सार्जेंट रिपोर्ट दो समितियों की सिफारिशों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कनिष्ठ बुनियादी शिक्षा एवं प्रवर (सीनियर) बुनियादी शिक्षा का अध्ययन कर सिफारिशें प्रस्तावित की गई।

प्रथम समिति की सिफारिशें

- बुनियादी शिक्षा पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाये।
- बुनियादी शिक्षा में प्रवेश की आयु की बाध्यता सामान्यतः 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच रखी जावे, लेकिन 5 वर्ष के बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सके।
- शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा हो।

- क्राफ्ट से पृथक सांस्कृतिक विषय भी पढ़ाया जाये।

द्वितीय समिति की सिफारिशें

- बुनियादी शिक्षा का निर्धारण 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 8 साल का किया जाये।
- 8वीं कक्षा तक प्रवर बुनियादी शिक्षा पूर्ण कर, आगे पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों को उच्च स्कूलों में प्रवेश एवं इन छात्रों की उच्च शिक्षा के समावेश हेतु उचित व्यवस्था की जाये।
- प्रवर बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक छात्राओं के पाठ्यक्रम में उपयोगी प्रकार की शिक्षा जैसे खाना बनाना, वस्त्र धुलाई, सुई धागे का कार्य, गृह कला, छोटे बच्चों की देखभाल एवं प्राथमिक उपचार इत्यादि प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जाये।
- केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की एक स्थायी समिति नियुक्त की जाये, जो इस नयी प्रकार की शिक्षा के प्रयोग पर नजर रख सके।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से भारत में हुए शैक्षिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। उक्त शोध पत्र में प्राचीन काल, मध्यकाल के शैक्षिक विकास को दर्शाते हुए औपनिवेशिक काल में भारत में हुए शिक्षा के विकास पर प्रकाश डाला गया है ।

सन्दर्भ.ग्रन्थ सूची

- शर्मा, जी.एन. . राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास पृ0 116
- आर्य, हरफूल सिंह . मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, पृ0 86 रिसर्च पब्लिकेशन्स
- रावत, पी.एल. . वही, पृ0 103
- जाफर, एस.एम. . एज्यूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया पृ. 12.13
- सुन्दरलाल . भारत में अंग्रेजी राज, पृ0 175
- चोपड़ा, पुरी, दास . वही, पृ0 243
- सुन्दरलाल . भारत में अंग्रेजी राज, पृ0 175
- राजगुरू, इरादास वूमेन एजूकेशन इन राजस्थान पृ0 65
- प्रतापसिंह . आधुनिक भारत, पृ0 201
- चोपड़ा, पुरी, दास . वही, पृ0 276
- भट्ट, बी.डी. एवं अग्रवाल, जे.सी.. एज्यूकेशनल डॉक्यूमेन्टरी इन इण्डिया,पृ0 23
- प्रतापसिंह . वही, पृ0 212.213
- भट्ट, एवं अग्रवाल . वही, पृ0 31
- प्रतापसिंह . वही, पृ0 213
- भट्ट, एवं अग्रवाल . वही, पृ0 33
- प्रतापसिंह .वही, पृ. 213.214
- चोपड़ा, पुरी, दास . वही, पृ0 288.289
- अग्निहोत्री, रविन्द्र आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएँ और समाधान, पृ0 60 राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
- भट्ट, एवं अग्रवाल . वही, पृ0 63द्64
- भट्ट, एवं अग्रवाल . वही, पृ0 97